UPMT010011782026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–506/2026

आकाश पचौरी बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. अभियुक्त **आकाश पचौरी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 603/2025 धारा–318(4), 338,336(3),340(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), थाना– कोतवाली, जिला– मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि SMFG India Home Finance Company Ltd एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय Commerzone IT Park, Tower B, 1st Floor, No.111, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai, Tamil Nadu, Pincode 600116 में तथा शाखा कार्यालय Second Floor, Shop No.78–7C, Moti Manzil, Pocket–C, Radhika Vihar, Phase–2, NH–2, Mathura–281004 (UP) में स्थित है तथा प्रार्थी/वादी कंपनी की ओर से समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है। प्रार्थी कंपनी अपने ग्राहकों को संविदा के आधार पर उचित ब्याज दर पर संपत्ति बंधक रखकर व्यापार ऋण, गृह ऋण आदि की सुविधा प्रदान करती है। निम्नलिखित चार अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी कंपनी से अपनी–अपनी संपत्तियां बंधक रखकर गृह ऋण प्राप्त किया था—आकाश पचौरी पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538311739336, ऋण राशि ₹12,00,000), प्रेम चंद पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538311927771, ऋण राशि ₹20,40,000), भरत लाल पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538311987915, ऋण राशि ₹17,50,000) तथा शिव कुमार पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538312085814, ऋण राशि ₹30,00,000)। ऋण प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त ऋणियों/अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को सरकारी कर्मचारी बताते हुए सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर प्रार्थी कंपनी द्वारा उन्हें ऋण प्रदान किया गया, परंतु ऋण लेने के पश्चात उन्होंने मासिक किस्तों का भुगतान नहीं किया तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संपर्क करने पर वे दिए गए पते पर नहीं मिले और वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि वे वहां नहीं रहते हैं। जांच करने पर पता चला कि प्रार्थी कंपनी के कर्मचारी कर्मचारी कोड 220161 शैलेन्द्र पचौरी पुत्र उमेश पचौरी निवासी 31 नगला चंदभान होलिका स्थान के सामने दीन दयाल धाम पोस्ट मखदूम जिला मथुरा–281122 (Relationship Manager), कर्मचारी कोड 217670 योगेन्द्र सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह निवासी रोशन नगर नयी आबादी गोबर चौकी किरण पब्लिक स्कूल के पास ताजगंज आगरा–282001 (Branch Credit Manager) तथा कर्मचारी कोड P335107 प्रद्युम्न कटारा पुत्र भूदेव कटारा निवासी मुडेशी पोस्ट धनगांव जिला मथुरा–281005 (Vendor, Dax Officer) ने कृष्ण कुमार लोन एजेंट से साँठगाँठ कर तथा उपरोक्त अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित धोखाधड़ी के

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.19 10:22:31 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आशय से एक गैंग (सिंडीकेट) बनाकर षड्यंत्र रचा और फर्जी KYC व अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी कंपनी से ऋण दिला दिया, जबकि उक्त बंधक संपत्तियों का सत्यापन कंपनी के लीगल वेंडर धीरज गोस्वामी द्वारा किया गया था। खोजबीन के बाद तीन अभियुक्त—आकाश पचौरी, प्रेम चंद और भरत लाल—का पता चला जो सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि बेरोजगार एवं नशे के आदी पाए गए, जबकि अभियुक्त शिव कुमार का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इस प्रकार अभियुक्तगण ने गैंग बनाकर षड्यंत्र के तहत फर्जी सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर प्रार्थी कंपनी से धोखाधड़ी की नियत से ऋण प्राप्त कर राशि का बंदरबांट कर लिया। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण का आशय प्रारंभ से ही प्रार्थी कंपनी के साथ छल–कपट एवं धोखाधड़ी करने का था और उन्होंने स्वयं को लाभ पहुँचाने तथा प्रार्थी कंपनी को हानि पहुँचाने के आपराधिक मन्तव्य से फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर कंपनी को छलपूर्वक ऋण देने के लिए प्रेरित किया और ऋण राशि हड़प ली। उक्त के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 603/2025 अंतर्गत धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) अभियुक्त आकाश पचौरी व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में अभिकथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त सीधे हाथ व पैर से विकलांग गरीब व्यक्ति है। कृष्णकुमार उर्फ कृष्णा गुर्जर ने आवेदक/अभियुक्त से कहा कि उसकी डूडा विभाग में अच्छी जान पहचान है और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवाने हेतु धनराशि आबंटित करवा देगा तथा मई 2024 में कागजात तैयार करने के लिए आवेदक/अभियुक्त से उसका आधार कार्ड, पैनकार्ड, फोटो, कोटक महिन्द्रा बैंक टेरा टावर भूतेश्वर मथुरा शाखा के खाता सं0 1147839041 की चैक बुक, एटीएम कार्ड व मो0 न 0 8445460635 की सिम यह कहकर ले ली कि कार्यवाही में इनकी आवश्यकता पड़ती है और आये मैसेज का समय पर जवाब देना होता है तथा प्रद्युम्न कटारा से मिलवाकर बताया कि वह भी धनराशि आबंटन में सहयोग करता है। इसके बाद कृष्णकुमार उर्फ कृष्णा गुर्जर व प्रद्युम्न कटारा ने एकराय होकर आवेदक/अभियुक्त के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी से उसके नाम से लोन स्वीकृत कराया और दिनांक 11.06.2024 को आवेदक/अभियुक्त के खाते में ₹11,55,494/– जमा कराकर उसी दिन ₹10,00,000/– कृष्ण कुमार ने अपने खाते में तथा 12.06.2024 को ₹1,00,000/– प्रद्युम्न कटारा, 13.06.2024 को ₹2,200/– रजत कुमार व ₹2,000/– लोकेश राठौर, 14.06.2024 को ₹40,000/– विमलेश तथा ₹1,500/– माया देवी व ₹8,000/– कृष्ण कुमार के खातों में ट्रांसफर कर लिये और पूछने पर झूठा आश्वासन देता रहा। दिनांक 06.05.2025 को कम्पनी के कर्मचारी किश्त के लिए आये तब आवेदक/अभियुक्त को प्रथम बार ज्ञात हुआ कि उसके नाम से लोन लिया गया है, जिसमें उसे रेलवे सवाई माधोपुर में नौकरी करना, एटीवी के पीछे मकान होना व पत्नी का नाम गीता दर्शाया गया है, जबकि वह अविवाहित है, रेलवे में कार्यरत नहीं है और उक्त संपत्ति भी नहीं है। तत्पश्चात बैंक से जानकारी करने पर पूरी जानकारी हुई। दिनांक 07.05.2025 को आवेदक/अभियुक्त अपने भाई आलोक व नवरत्न के साथ कृष्ण कुमार के पास कागजात मांगने गया तो उसने गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा गुर्जर ने प्रद्युम्न कटारा, रजत कुमार, लोकेश राठौर, विमलेश व माया देवी के साथ मिलकर आवेदक/अभियुक्त के कागजात लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके आधार पर लोन लेकर धनराशि हड़प ली, जबकि आवेदक/अभियुक्त को कोई लाभ नहीं हुआ। घटना की जानकारी पर आवेदक/अभियुक्त ने 06.05.2025 को थाना हाईवे मथुरा व 08.05.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना

पत्र दिया, परन्तु पुलिस द्वारा विलम्ब से 26.09.2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई और कृष्ण कुमार को अभियुक्त नहीं बनाया गया, जबकि आवेदक/अभियुक्त को ही गिरफ्तार कर चालान किया गया। आवेदक/अभियुक्त लगभग 90 प्रतिशत विकलांग है, वैशाखी के सहारे चलता है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है, अतः जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित रूप से गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचते हुए फर्जी KYC एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर ऋण स्वीकृत कराकर ऋण राशि के गबन का आरोप आक्षेपित है।
7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी कंपनी, जो एक विधिवत पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, द्वारा ग्राहकों को संपत्ति बंधक रखकर ऋण प्रदान किया जाता है। अभियुक्त आकाश पचौरी एवं अन्य सह–अभियुक्तगण प्रेम चंद, भरत लाल एवं शिव कुमार ने स्वयं को सरकारी कर्मचारी बताते हुए फर्जी सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त किया। बाद में किस्तों का भुगतान नहीं किया गया तथा वे अपने पते पर भी नहीं मिले।
8. अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि वह लगभग 90 प्रतिशत विकलांग, गरीब एवं असहाय व्यक्ति है, जिसे सह–अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा गुर्जर एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा धोखे में रखकर उसके दस्तावेज प्राप्त कर लिये गए और उन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी ऋण स्वीकृत करा लिया गया। अभियुक्त के अनुसार उसे ऋण की धनराशि का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ तथा अधिकांश धनराशि अन्य व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित कर ली गई।
9. अभियुक्त द्वारा स्वयं को एक विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति बताया गया है, जिसकी पुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध प्रपत्रों से भी परिलक्षित होती है। अभियुक्त का यह भी कथन है कि उसके पहचान संबंधी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम से ऋण स्वीकृत कराया गया तथा धनराशि अन्य व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित कर ली गई। अभिलेख पर वर्णित बैंक लेन–देन के तथ्यों से भी प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि ऋण की धनराशि का बड़ा भाग अन्य खातों में गया है। आवेदक/अभियुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति व थाने पर शिकायत के संबंध में अपनी उपस्थिति की रसीद भी दाखिल की है। अभियुक्त दिनांक 30.01.2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अथवा किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **आकाश पचौरी** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

10. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–18.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191